ज़यपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन्दिरा सर्किल, जयपुर

क्रमांकः प.3(12)जविप्रा/आरएमएण्डसी/आर.टी.पी/2015/डी– 347 दिनांकः 10/12/2015

ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी फ्लैट् ऑनलाईन आवेदकों के लिये महत्तवपूर्ण सूचना

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी के आरक्षित 15 प्रतिशत फ्लैट्स एवं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत फेज–प्रथम मॉडल–2 के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 08 परियोजनाओं में निरस्त एवं निष्पादन हेतु उपलब्ध फ्लैट् ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.11.15 से 18.11.15 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गये थे। ग्राम हाज्यावाला योजना के खसरा नम्बर 150/817, 154/818, 819, 155/820 155/821, 152 पर विकासकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 14933/2015 में प्राधिकरण द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स के निष्पादन पर स्थगन आदेश होने के कारण हाज्यवाला योजना को लॉटरी सूची से हटाकर इस योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों एकल विकल्प भरने वाले 1775 एवं बहुविकल्प भरने वाले 1259 आवेदकों को उपलब्धता अनुसार शेष योजनाओं में ऑनलाईन एक विकल्प चुनकर आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है।

ऑनलाईन विकल्प प्रक्रिया हेतु आवेदक के द्वारा पूर्व में भरे गए ऑनलाईन आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राधिकरण द्वारा एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जावेगा। विकल्प दर्ज करवाये जाने की प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ उक्त वेरिफिकेशन कोड जविप्रा के पोर्टल www.jaipurjda.org पर दर्ज करावें एवं सत्यापन होने के उपरान्त आवेदक के मोबाईल नम्बर पर एक ओटीपी (One Time Password) उपलब्ध करवाया जावेगा। ओटीपी (OTP) दर्ज करने के उपरान्त आवेदक अपने विकल्प का चयन जविप्रा के वेब पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 12 दिसम्बर 2015 (समय 00.00 बजे से 21 दिसम्बर 2015 (23.59 बजे) तक किया जा सकेगा।

बहुविकल्प आवेदको द्वारा नया विकल्प उसी प्राथमिकता नम्बर पर भरा जा सकेगा जिस नम्बर पर पूर्व में उनके द्वारा हाज्यावाला योजना की प्राथमिकता भरी थी। आवेदक द्वारा नियत तिथि 21.12.15 (23.59 बजे) तक विकल्प नहीं भरा जाने की स्थिति में, ऐसे आवेदकों को यह मानते हुए कि आवेदक विकल्प प्रस्तुत करने में इच्छुक नहीं होने की दशा में शेष विकल्प की वरियतानुसार लॉटरी मे सम्मिलित किया जाकर जमा हुई प्रशासनिक शुल्क की राशि उनके खाते में लॉटरी पश्चात् ऑनलाईन रिफण्ड कर दी जावेगी।

(पवन अरोडा)
सचिव